

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।

क्रमांक : 98.....स्था.

दिनांक:.....12.....मई, 2026

—: कार्यालय-आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)88/2022/472 दिनांक 18.04.2026 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 14112/2024 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7564/2023 में पारित आदेशों की अनुपालना में निम्नवर्णित अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति हेतु मेड़ता न्यायक्षेत्र आवंटित किया है। अतः राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

S.No.	Roll No	Name of Candidate	DOB	Category	Gender
01	175486	ASRAF	07-06-1997	OBC	Male
02	175412	ANTIMA TANWAR	06-05-1995	OBC	Female

01. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
02. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
03. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
04. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई जाने पर बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा भविष्य में अभ्यर्थीगण का उनके पूर्व के आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
05. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
06. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
07. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
08. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
09. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


(तारा अग्रवाल) 12/5/2026

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 12/05/2026

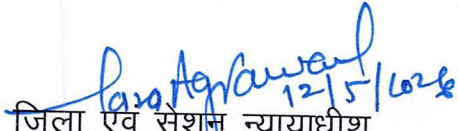
—02— कार्यालय आदेश क्रमांक.....98.....स्था. दिनांक.....12.....मई, 2026

क्रमांक : 1775-1778
स्था.

दिनांक: 12.....मई, 2026

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/सांख्यिकी, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता.
02. सिस्टम ऑफिसर न्यायालय हाजा को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु.
03. श्री असरफ पुत्र श्री अनवर अली निवासी पजाबगिरान मोहल्ला, बीकानेर पिन कोड-334001 जिला बीकानेर (पंजीकृत डाक).
04. सुश्री अंतिमा तंवर पुत्री श्री घनश्याम सिंह तंवर, 7/194 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर पिन कोड-334004 जिला बीकानेर (पंजीकृत डाक).
05. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा.
06. रक्षित पत्रावली.


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 12/05/2026